2020/00155

न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

क्रमांकः कोर्ट / 2020 / 3043 दिनांक 9 -11 -2020

राजस्व प्रा.पत्र. संख्या 119 / 2020

प्रेषिति :-

तहसीलदार
सिरोही

आपके तहसील कार्यालय सिरोही द्वारा जरिये पत्र कमांक भू.अ. / 2020 / 2714 दिनांक 30-9-2020 के संलग्न मौजा देलदर पटवार हल्का मण्डवारिया तहसील सिरोही की वर्तमान जमाबंदी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 104 के प्राप्त प्रस्ताव मय राजस्व रेकर्ड जमाबंदी दस्तावेजात प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन व उस पर मनन करने के उपरान्त यह पाया कि जमाबंदी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 104 मे प्रार्थी के पिता रूपा पुत्र दीपा का ननाम दर्ज था जिसकी मृत्यु होने पर नामान्तकरण संख्या 304 दिनांक 20-4-2018 के द्वारा प्रार्थी रामलाल सहित उसके विधिक वारिसान के नाम दर्ज होकर संबंधित खाते मे अमल दरामद किये गये लेकिन सेग्रीगेशन के दौरान लिपिकिय भूलवश रामलाल का नाम उक्त भूमि मे दर्ज करने से छोड दिया गया तथा उसका हिस्सा उसके भाई बहन व माता के हिस्सों मे जुड गया । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रतियो व पटवारी हल्का मण्डवारिया की रिर्पोट ,तथा आपकी अनुशंषा के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित होने से राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये आपको पुनःमूल प्रस्ताव मय राजस्व रेकर्ड के भेजकर आदेश दिये जाते है कि प्रस्तावानुसार प्रार्थी रामलाल का नाम वर्तमान जमाबंदी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 106 मे जोडना तथा हिस्सो की शुद्वि की वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज / राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

संलग्न - अनुमोदित प्रस्ताव मिसल

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:29:02 IST
Reason: SelfAttested